परिशिष्ट - "अ"
[8/7/2024]

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
प्रश्न सं. [क्र. 1033]
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 14.08.2017

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 560/NR-4/ वित्त एवं
क्रमांक एफ-2-1-17/22/पंचा-1, कार्यक्रमों के तहत समागायुक्त कार्यालयों एवं जिला/जनपद
लेखा/2017, दि.10.08.2017 विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्देश जारी किये गये हैं।
पंचायतों के प्रशासनिक व्यय तथा वाहन व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
पंचायतों के प्रशासनिक व्यय तथा वाहन व्यवस्था के संबंध में दि. 04.12.2010 द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत/जनपद पंचायत
2. विभागीय पत्र क्र. एफ 3-10/2006/22/पं-1, दि. 04.12.2010 द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत/जनपद पंचायत
को पूरे माह निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने एवं विभागीय पत्र क्र. एफ 3-3/22/08/पं-1, दि. 27.02.2013 द्वारा
जिला पंचायत के उपाध्यक्षों को माह में एक सप्ताह के लिए वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
3. जिला पंचायत/जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष की वाहन व्यवस्था सुगम एवं सहज
करने तथा बिल/व्हाऊचर, आदि लेखा-जोखा की आवश्यकता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रतिमाह निम्नानुसार
एक मुश्त वाहन किराया तथा ईंधन व्यय का भुगतान सीधे संबंधित पदाधिकारी के बैंक खाते में करने का निर्णय लिया
गया है :-

पदाधिकारी	विभागीय निर्देशों के अनुसार पात्रता	एक मुश्त किराया एवं ईंधन
अध्यक्ष, जिला पंचायत	पूरे माह निःशुल्क वाहन	जिला भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, हरदा, नीमच श्योपुर, सिंगरौली एवं उमरिया रू. 40000/-
		अन्य जिले - रू. 43,000/-
अध्यक्ष, जनपद पंचायत	पूरे माह निःशुल्क वाहन	रू. 35,000/-
उपाध्यक्ष, जिला पंचायत	एक सप्ताह के लिये वाहन किराया रू. 4,500/- एवं 50 लीटर डीजल	रू. 9,000/-

4. उपरोक्त राशि का भुगतान प्रतिमाह की एक तारीख को विकास आयुक्त के अधीन पंजाब नेशनल बैंक में
संचालित खाता क्रमांक 6310000100004285, आईएफएससी कोड PUNB0631000 शाखा EPCO शाहपुरा, भोपाल से
संबंधित पदाधिकारी के बैंक खाते में सीधे Electronic Payment Order से किया जाएगा।

5. शर्तें -

(i) अध्यक्ष जिला/जनपद पंचायत एवं उपाध्यक्ष जिला पंचायत उनकी इच्छा अनुसार स्वयं का अथवा किराये का
वाहन उपयोग कर सकेंगे।

(ii) वाहन किराया एवं ईंधन आदि के संबंध में किसी प्रकार के देयक वाऊचर अथवा लेखा-जोखा रखने की
आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) जिला/जनपद पंचायत अथवा किसी अन्य शासकीय संस्था से उक्त पदाधिकारियों की वाहन संबंधी व्यवस्था
के लिए कोई व्यय नहीं किया जा सकेगा।

(iv) उपरोक्त राशि में वाहन चालक का व्यय शामिल है। अतः शासन/जिला पंचायत/जनपद पंचायत
/शासकीय संस्था में नियुक्त अथवा उनके व्यय पर वाहन चालक उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा, अन्यथा
वाहन चालक को देय पारिश्रमिक की राशि उपरोक्त तालिका में दर्शाई राशि से समायोजित की जाएगी।

(v) जिन जिला/जनपद पंचायतों में संस्था का वाहन चालक नियमित सेवा में सेवारत हो उनकी सेवाओं का
उपयोग मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत अन्यत्र करेंगे।

6. उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 01 सितम्बर 2017 से लागू होगी।

7. जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी 31 अगस्त 2017 तक की अवधि के देयकों का युक्तियुक्त
निराकरण कर उनका भुगतान सुनिश्चित करें।

14.08.17

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 14.08.2017

पृ. क्रमांक एफ-2-1-17/22/पंचा-1

प्रतिलिपि :- विकास के अधीन विभिन्न कार्यालय/संस्था प्रमुखों को सूचनार्थ।

1. विकास आयुक्त/संचालक पंचायत/पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधीन विभिन्न कार्यालय/संस्था प्रमुखों को सूचनार्थ।
2. समस्त संभाग आयुक्त/कलेक्टर।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश को पालनार्थ।
5. विभागीय वेबसाईट के माध्यम से प्रकाशन हेतु।

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश